249/4.05

संख्या – — /V-2–2017–102(आ0)/2012

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

विषय : उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक 2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद, देहरादून के पत्र संख्या–343/उ0आ0वि0परि0/का0आ0/2017–18 दिनांक 06–11–2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–13 में उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद, देहरादून के अधिष्ठान हेतु किराया भत्ते के लिए भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनराशि कम के कारण संलग्नक बी0एम0–09 में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 4,50,000 (रूपये चार लाख पचास हजार) की धनराशि को अनुदानान्तर्गत उपलब्ध खातो में पुनर्विनियोग द्वारा व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा और उक्त मदों में अब तक इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार उन मदों पर ही किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(3) आबंटित बचत की सीमा में प्रतिमाह की 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 तथा प्रपत्र बी0एम–13 पर सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(4) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बचत मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.3.2018 तक सुनिश्चित कर लिया जाए। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में इंगित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2217–शहरी विकास–80–सामान्य–00–800–अन्य व्यय–07–00–उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की मानक मद–17 किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व के नाम में डाला जायेगा।"

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–545/XXVII(2)/2017 दिनांक 14.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–2054/V-2/2017–102(आ0)/2014 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– वित्त अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव